छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, नवा रायपुर जिला रायपुर

क्र. 1817/802/2020/10-2/ नवा रायपुर दिनांक 03.04.2020

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
2. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़

विषयः– कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये लॉकडाउन के दौरान लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, परिवहन तथा भण्डारण में अति आवश्यक कार्य हेतु न्यूनतम श्रमिकों/ग्रामीणों को कार्य करने की अनुमति देने तथा परिवहन, भंडारण सेवा शर्तो के अधीन चालू रखने बाबत्।

संदर्भः– 1. गृह सचिव, भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 40–3/2020–डी.एम.–1 (ए) दिनांक 29.03.2020

2. सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क. 161/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर दिनांक 29.03.2020

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत मुख्य सचिव, छ.ग शासन द्वारा पत्र क./211/मु.स/2020 नया रायपुर दिनांक 25.03.2020 के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये लॉकडाउन से अत्यावश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के संदर्भित पत्र द्वारा गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के संदर्भ पत्र के माध्यम से जारी निर्देश की प्रति संलग्न कर समेकित निर्देशों अनुसार संपूर्ण प्रदेश में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राज्य में वन तथा सीमा क्षेत्रों से इमली, महुआ फूल, चिरौंजी आदि खाद्य योग्य वनोपज हर्रा, बहेड़ा, आदि औषधि योग्य वनोपज संग्रहण सीजन चालू है। ग्रामीणों / आदिवासियों द्वारा अपनी निजी क्षेत्र तथा वन क्षेत्र से संग्रहण कर शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्राम स्तर, स्व सहायता समूहों को विक्रय करने हेतु छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य शासन ने व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अतः ग्रामीणों / संग्राहकों को उक्त वनोपज संग्रहण करने तथा ग्राम स्तर पर स्व सहायता समूहों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय करने हेतु शर्तों की अधीन व्यवस्था करना आवश्यक है। ताकि उक्त खाद्य / औषधि महत्व के वनोपज के संग्रहण, परिवहन भंडारण करने से ग्रामीणों को मेहनत का फल मिल सके।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश क्र. 40–3/20–20 डी दिनांक 24.03.2020 के द्वारा गाईडलाईन की कंडिका 4(1) कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस सेवाएं हेतु 6(b) में सामग्री के अंतर्राज्यीय परिवहन हेतु छूट दी गयी है। उक्त आदेश के कंडिका 5(c) में औषधि कच्चे सामग्री के प्रसंस्करण इकाई हेतु छूट दी गई है तथा भारत सरकार के समेकित दिशा–निर्देश दिनांक 29.03.2020 के बिंदु कमांक 2(8) में न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियों को छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य में लॉक–डाउन अवधि में निम्नानुसार कार्यों को संपादित किए जाने हेतु सशर्त छूट प्रदान की जाती है :–

(i) लघु वनोपज संग्रहण, लाख पालन आदि में श्रमिकों/संग्राहकों को कार्य करने हेतु।

(ii) संग्रहित वनोपज को ग्राम स्तर पर स्व सहायता समूहों को विकय करने हेतु।

(iii) समूहों द्वारा कय लघु वनोपज को उपयुक्त स्थानों पर शर्तों या भारत शासन द्वारा जारी आदेशानुसार प्रसंस्करण करने हेतु।

(iv) उक्त वनोपज उपयुक्त वाहन द्वारा गोदाम या कोल्ड स्टोरेज परिवहन करने, भंडारण करने, उचित रखरखाव करने हेतु।

(v) भंडारित वनोपज का अन्य राज्यों हेतु खाद्य/औषधि उत्पादन केन्द्रों हेतु परिवहन करने हेतु।

उपरोक्त अनुमति निम्नानुसार शर्तों के अधीन दी जाती है :–

1. ग्रामीण लघु वनोपज के संग्रहण के समय एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाये रखेंगे।

2. स्व सहायता समूह के द्वारा लघु वनोपज संग्राहकों से कय हॉट बाजार में नहीं किया जावेगा, बल्कि गांव स्तर पर उनके द्वारा घरों से ही लघु वनोपज क्रय किया जावेगा। स्व सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग किया जायेगा। घरों से कय करते समय 02 सदस्य से अधिक स्व सहायता समूह के सदस्य उपस्थित नहीं होंगे।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

3. अति आवश्यक स्थिति में अगर किसी वनोपज के प्राथमिक प्रसंस्करण की आवश्यकता हो तो प्रसंस्करण केंद्र में 20 से अधिक महिला सदस्यों की उपस्थिति न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सदस्यों द्वारा एक दूसरे के बीच में कम से कम 03 मीटर की दूरी बनाया रखना अनिवार्य होगा तथा सदस्यों द्वारा हाथ में ग्लोव्स, सिर पर कैप तथा मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जायेगा।

4. संग्रहण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण के दौरान प्रत्येक एक घण्टे में स्व सहायता समूह के सदस्यों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के द्वारा अनिवार्य रूप से हाथ धोया जायेगा।

5. इस कार्य में लगे किसी भी सदस्य में अगर कोई वायरस के लक्षण दिखते हो तो तत्काल समीप के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में संपर्क किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे।

(हस्ताक्षर)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

नवा रायपुर दिनांक 03.04.2020

पृ.क्र 1818/802/2020/10–2/

प्रतिलिपिः–

1. **अपर मुख्य सचिव**, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर,
2. **विशेष सहायक**, माननीय वनमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर,
3. **उप सचिव**, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर,
4. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़**, अरण्य भवन, नवा रायपुर,
5. **प्रबंध संचालक**, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर,
6. **समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक वन वृत्त** छत्तीसगढ़,
7. **समस्त वन मंडलाधिकारी तथा प्रबंध संचालक** जिला यूनियन छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(हस्ताक्षर)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner